COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(148)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 ।2002 पुनरीक्षण

R-95-II/2002

श्री मुकेश लोखण्डे अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 14-1-2002 को प्रस्तुत।

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

14 JAN 2002

1- रामकृष्ण तनय रामकिशोर

2- रामलाल तनय रामकिशोर

निवासीगण ग्राम मालावर तहसील मऊगंज

जिला रीवा -------- आवेदकगण

विरुद्ध

ईंजनराम तनय सूर्यभान ब्राह्मण

निवासी ग्राम मालावर तहसील मऊगंज

जिला रीवा --------- अनावेदक

अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्र0क्र0 210199-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-11-2001 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध एवं अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि के आवेदकगण भूमिस्वामी हैं तथा आवेदकगण का ही वास्तविक आधिपत्य विवादित भूमि पर है। अनावेदक का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उसका कभी आधिपत्य रहा है।

(3) यह कि अनावेदक द्वारा बिना किसी अधिकार एवं आदेश के आवेदकगण की भूमि पर अपने आधिपत्य की प्रविष्टि करा ली थी जो मात्र एक षडयंत्र है। ऐसी प्रविष्टि को बनाये रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

--- 2

कू0प030

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 95–एक/2002 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/8/17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 210/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–11–2001 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि प्रकरण में मूल विवाद भूमि सर्वे नंबर 32/1 के अंश रकबा 0.15 एकड़ पर वर्ष 1995–96 के खसरा के कालम नंबर 12 में हलका पटवारी ने आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि कर देने का आवेदन नायव तहसीलदार को दिया गया। नायव तहसीलदार सीतापुर ने प्रकरण कमांक 100 अ–6–अ /97–98 पंजीबद्व करके आदेश दिनांक 30–9–98 से खसरा प्रविष्टि निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 68 अ–6–अ/98–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–99 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 210/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–11–2001 से अपील	

निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। निगरानी में विचार करना है कि क्या वर्ष 1977–78 की निरन्तरता में वर्ष 1987–88 तक चली आई प्रविष्टि को नायव तहसीलदार व्दारा व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर आदेश पारित कर विलोपित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 इस प्रकार है –

116– खसरा या किन्हीं अन्य भू अभिलेखों में की प्रविष्टि के बारे में विवाद – यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हों, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्विकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

विचाराधीन मामले में वर्ष 1977–78 की निरन्तरता में चली आ रही प्रविष्टि दुरूस्त करने हेतु नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदन 97–98 में प्रस्तुत हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज व्दारा प्रकरण कमांक 68/अ–6–अ/98–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–99 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 210/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–11–2001 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 210/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–11–2001 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य